V (1) 6

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

5 FEB 2016

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DX 570753

किस्म विलेख : न्यासपत्र

Pradeep Kumar Singh

P.K. Singh
Pradeep Kumar Singh

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

5 FEB 2018

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DX 570754

मुख्य ट्रस्टी का नाम – प्रदीप कुमार सिंह

9839127789

मालियत : 11000

स्टाम्प : 1100

8795782205

8400533612

Pradeep Kumar Singh

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BN 987609

न्यास पत्र

हम कि प्रदीप कुमार सिंह पुत्र श्री जय सिंह निवासी, बाड़ी तरया, पोस्ट - समय थान भीटी, जनपद गोरखपुर, (उत्तर प्रदेश) भारत का हूँ। हम मुकिर समाज के आर्थिक सामाजिक एवं शैक्षणिक विकास हेतु निरन्तर कार्य करते रहते हैं, तथा हम मुकिर के मन मस्तिष्क में व्यक्तिगत कार्यो के साथ – साथ राष्ट्र एवं समाज हित का चिंतन बना रहता है। हम मुकिर की हार्दिक इच्छा है कि समाज में सुख – शांति, आपसी सद्भाव, शिक्षा, स्वास्थय व एवं आदर्श नागरिक गुणों की स्थापना हो। समाज के साधनहीन व्यक्तियों को जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं, भोजन, शिक्षा, उत्तम स्वास्थय एवं आवास की व्यवस्था हो तथा शिक्षित बेरोजगारों को उनके योग्यता के अनुरूप तकनीकी एवं व्यवहारिक ज्ञान प्रदान कर उन्हें रोजगार का उत्तम अवसर प्रदान किया जाय। समाज के सामुदायिक विकास में परस्पर भाई - चारा सांप्रदायिक ताल - मेल बनाए रखने एवं समाज को शिक्षित करने में लिंग – भेद, जाति, धर्म और सम्प्रदाए कही से भी बाधक नहीं हो। मेधावी एवं प्रतिभा संपन्न छात्रों को

Pradeep Kumar Singh

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BN 987610

अपने देश में अथवा देश के बाहर उच्च शिक्षा हेतु सहायता उपलब्द्ध कराया जाय | जनहित में उक्त कार्यों को संचालित करने तथा उससे लोगों को अधिकाधिक लाभ प्रदान करने के लिए विभिन्न विधाओं में समाज को शिक्षित किये जाने की आवश्यकताओं को देखते हुए विभिन्न संस्थाओं एवं समितियों का गठन किया जाना आवश्यक पाकर इसकी सम्पूर्ण व्यवस्था के लिए हम मुकिर द्वारा एक कल्याणकारी न्यास / ट्रस्ट कि स्थापना की जा रही है | हम मुकिर द्वारा इस हेतु आवश्यक संसाधनों कि व्यवस्था के बावत रु० 11000/- (रुपया ग्यारह हजार मात्र) का एक न्यास कोष स्थापित किया गया है | आगे भी इस न्यास कोष में विभिन्न उपायों से धनराशि एवं चल व अचल संपत्ति की व्यवस्था करता रहूँगा | हम मुकिर अपने द्वारा स्थापित उक्त न्यास / ट्रस्ट की प्रबंध व्यवस्था एवं प्रशासन के बावत एक न्यास पत्र को भी निष्पादित कर रहा हूँ, जिसकी व्यवस्था निम्न रुपेण की जायेगी :-

1- यह कि हम मुकिर द्वारा स्थापित न्यास का नाम "माँ गायत्री शिक्षण संस्थान" होगा, जिसे आगे न्यास अथवा ट्रस्ट शब्द से सम्बोधित किया गया है |

2- यह की उपरोक्त माँ गायत्री शिक्षण संस्थान का ट्रस्टी / न्यासी वही व्यक्ति हो सकता है जिसकी आस्था हिन्दू धर्म मे हो |

3- यह कि हम मुकिर द्वारा स्थापित उक्त न्यास / ट्रस्ट का कार्यालय, बाड़ी तरया, पोस्ट - समय थान भौटी डाकघर तहसील - गोला, जनपद गोरखपुर होगा | उक्त न्यास के कार्य को सुचारु रूप से संपादित करने तथा इसके उद्देश्यों की सुगम प्राप्ति के बावत इसके अन्य कार्यालयों की भी स्थापना की जायेगी और उनके कार्यालयों के पते पर न्यास / ट्रस्ट मजकूर द्वारा गठित की जाने वाली संस्थाओं एवं समितियों का पंजीकरण सुसंगत अधिनियमो के अन्तर्गत कराया जा सकेगा | न्यास का कार्यक्षेत्र

Pradeep Kumar Singh

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BN 987611

सम्पूर्ण भारत वर्ष होगा, परन्तु आवयकता पड़ने पर भारत के बाहर भी विधिपूर्ण रुप से कार्यो का संचालन किया जा सकेगा |

4- यह की हम मुकिर न्यास / ट्रस्ट मजकूर के संस्थापक व मुख्य न्यासी / ट्रस्टी होंगे तथा न्यास / ट्रस्टी के प्रधान प्रबंधक भी कहे जायेंगे | हम मुकिर द्वारा न्यास / ट्रस्ट के संचालन व व्यवस्था के लिए निम्नलिखित व्यक्ति जो न्यास / ट्रस्ट के उद्देश्यों के अनुसार न्यास / ट्रस्ट के हित में न्यास / ट्रस्ट के न्यासी / ट्रस्टी के रूप में कार्य करने को सहमत है को न्यास / ट्रस्ट का न्यासी / ट्रस्टी नामित करता हूँ | भविष्य में हम मुकिर द्वारा न्यास के उद्देश्यों की सुगम प्राप्ति हेतु अन्य न्यासियों / ट्रस्टियों की नियुक्ति की जा सकेगी | हम मुकिर द्वारा नामित न्यासियो / ट्रस्टियों तथा मुख्य न्यासी / ट्रस्टी को संयुक्त रूप से न्यास / ट्रस्ट मण्डल कहा जाएगा | न्यास / ट्रस्ट की स्थापना के समय हम मुकिर द्वारा न्यासी / ट्रस्टी के रूप में नामित व्यक्ति का विवरण निम्लिखित है : -

नाम न्यासी / ट्रस्टी	पति का नाम	निवास का पता
श्रीमती रत्ना सिंह	श्री प्रदीप कुमार सिंह	ग्राम-बाही तरया, पोस्ट - समय धान भीटी, जिला - गोरखपुर (उ० प्र०)

यह की हम मुकिर द्वारा "माँ गायत्री शिक्षण संस्थान" के नाम से जिस न्यास / ट्रस्ट की स्थापना की जा रही है उसके स्थापना का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है :-

1- अवयस्क एवं व्यस्क बालक / बालिकाओं को सुविधापूर्ण ढंग से उचित गुणवत्तापूर्ण शिक्षण व्यवस्था उपलब्ध कराने तथा इस हेतु आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था कर

Pradeep Kumar Singh

3

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

भारत

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BN 987612

शिक्षा, पर्यावरण सुरक्षा एवं समाज कार्य के क्षेत्र में विभिन्न कार्यो के द्वारा जन सामान्य के शैक्षिक एवं समाजिक स्तर को प्रगति के पथ पर आगे ले जाना इसका मुख्य उदेश्य है ।

2- शिक्षा एवं जीवन उपयोगी ज्ञान का प्रचार प्रसार करना एवं जन सामान्य में चेतना जागृत कर उन्हें शिक्षित एवं रोज़गारोन्मुख प्रशिक्षण देकर निर्भर बनाना तथा प्रतिभा संपन्न मेधावी छात्रों को देश विदेश में उच्च शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक सहयोग करना ।

3- बालक – बालिकाओं को सुविधापूर्वक उच्च स्तरीय शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए प्राथमिक स्तर से लेकर स्नातकोत्तर स्तर तक की शिक्षा उपलब्ध कराना । व्यवसायिक शिक्षा, प्रशिक्षण, विज्ञान एवं प्रौधोगिकी, तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थय शिक्षा एवं कृषि विज्ञान की शिक्षा, कम्प्यूटर शिक्षा तथा विभिन्न विषयों एवं क्षेत्रों में शोध करने हेतु संस्थान स्थापित करना / स्थापित करने में सहयोग करना एवं उपलब्ध कराना ।

4- समाज के आर्थिक एवं सामाजिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों के लिए शिक्षण एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था करना ।

5- निर्बलों के उत्थान हेतु शिक्षा एवं उपयोगी ज्ञान का प्रचार – प्रसार करना । सामान्य जन में चेतना जागृत करने एवं उनके बौध्दिक विकास के लिए पुस्तकालय एवं वाचनालय की स्थापना करना ।

6- आम आदमी को रचनात्मक दिशा देने के लिए लघु उधोगों, प्राविधिक शिक्षा के प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना करना तथा उन्हें स्वरोजगार हेतु विभिन्न विधाओं की शिक्षा एवं प्रशिक्षण देकर उन्हें आत्म निर्भर बनाने का प्रयास करना ।

Pradeep Kumar Singh

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BN 987613

7- समाज को साक्षर बनाने के लिए सर्वशिक्षा के कार्यक्रम का संचालन करना । शारीरिक एवं मानसिक रूप से अक्षम व्यक्तिओं हेतु कल्याणकारी कार्यों को संपादित करना तथा इनके रहने हेतु भवन एवं छात्रावास बनवाना । इसके अतिरिक्त वरिष्ठ तथा निर्बल वर्ग के व्यक्तियों के लिए निःशुल्क आवासीय सुविधा उपलब्ध कराना ।

8- खेलों को बढ़ावा देने के लिए उनके संसाधन उपलब्ध कराना ।

9- समाज के सभी धर्म एवं वर्ग के व्यक्तियों के सामाजिक एवं सांस्कृतिक उत्थान हेतु सहायक विभिन्न कल्याणकारी योजनाये बनाना तथा क्रियान्वित कराना ।

10- समाज के सभी धर्म एवं व्यक्तिओं के लिए विभिन्न क्षेत्रों मे औद्योगिक के प्रशिक्षण की व्यवस्था करना एवं आवश्यक होने पर विधि पूर्वक संस्था स्थपित करना ।

11- स्वास्थ्य, परिवार कल्याण एवं बाल कल्याण कार्यक्रमों को संचालित करना । शिविर एवं सेमीनार आयोजित करना । सार्वजनिक स्थानों की स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक एवं प्रेरित करना । स्वच्छता अभियान चला कर लोगों को रोग मुक्त करना । निःशुल्क टीकाकरण, रक्तदान शिविर तथा नेत्र – ज्योति शिविर का आयोजन करना । धर्मार्थ चिकित्सालयों का निर्माण कर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य संबधी कार्य निःशुल्क संचालित करना ।

12- कृषि एवं भूमि से सम्बंधित कार्यों द्वारा भूमि संरक्षण एवं जल संरक्षण का कार्य करना तथा विशेषज्ञों के आधुनिक शोध कार्यों से कृषकों को लाभ पहुचाना तथा कृषि विविधिकरण कार्यक्रमों का संचालन करना । कृषि एवं पशुपालन, मुर्गी पालन व रेशम कीट पालन की जानकारी उपलब्ध कराना तथा संसाधन भी उपलब्ध कराना । कृषि एवं पशुओं में होने वाली बीमारियों से बचाव हेतु कार्य करना ।

Pradeep Kumar Singh

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BN 987614

13- पर्यावरण एवं जल संरक्षण हेतु कार्य करना तथा जलाशयों एवं प्याऊ आदि की व्यवस्था करना | वृक्षा -रोपण सम्बन्धी कार्य करना |

14- दैवी आपदा जैसे बाढ़, भूकम्प महामारी इत्यादि से पीड़ित लोगों की सहायता करना तथा इसके रोकथाम की व्यवस्था करना |

15- गोवंश की रक्षा, भरण पोषण इत्यादि की व्यवस्था करना तथा इस हेतु गौशाला की स्थापना करना | डेयरी फार्म एवं दुग्ध विकास के क्षेत्र में स्वावलंबी बनाने हेतु आवश्यक कार्यों को निःस्वार्थ भाव से करना |

16- महिलाओं के उत्थान हेतु औद्योगिक प्रशिक्षण जैसे - सिलाई, कढाई, बुनाई, पेंटिंग, संगीत शिक्षा एवं ब्यूटी पार्लर आदि का प्रशिक्षण देकर उन्हें रोजगार के योग्य बनाना | निराश्रित महिलाओं, वृध्दों व बच्चों के लिए आश्रय स्थल तथा वृध्दाश्रम को स्थापित करना | सामाजिक उत्थान के लिए समस्त सम्बंधित कार्य करना जो राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों को गतिशील करने व स्थानीय समस्याओं को दूर करने में सहयोगी हो |

17- समाज में जाति व धर्म के आधार पर व्याप्त कुरीतियों एवं विषमता को दूर करने के लिए व्यापक प्रचार - प्रसार करना | मादक पदार्थ का नशा करने वालों की लत छुड़वाने के लिये गोष्ठी एवं जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर मादक पदार्थों के विरुद्ध व्यापक जागरण करना और इसके लिए चिकित्सकों की मदद से धर्मार्थ अस्पतालों का निर्माण करना|

18- सड़क सुरक्षा नियमों एवं यातायात के नियमों का पालन कराने के लिए जन सामान्य को शिक्षित एवं प्रशिक्षित करना |

19- किसी अन्य सरकारी अथवा एन० जी० ओ०, समिति, न्यास / ट्रस्ट के क्रिया - कलापों में सहयोग देना, जिनके उद्देश्य इस न्यास / ट्रस्ट से मिलता हो |

Pradeep Kumar Singh

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BN 987615

20- सरकारी गैर सरकारी संस्थाओं / तंत्रों / कंपनी / व्यवसायिक प्रतिष्ठानों एवं आम नागरिकों से आर्थिक सहायता लेकर न्यास / ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति करना।

21- न्यास / ट्रस्ट के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए इसके शाखा या इनके क्रिया कलापों को आवश्यकतानुसार अन्य जिलो / प्रदेशों मे स्थापित करना या विस्तार करना।

22- सरकारी / अर्धसरकारी / गैर सरकारी विधिक मान्यता प्राप्त बैंक / गैर सरकारी विधिक मान्यता प्राप्त वित्तीय संस्था से न्यास / ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ऋण / सहायता प्राप्त करना।

23- समाज के कमजोर वर्ग के लोगों के उत्थान का कार्य करना तथा ऐसे वर्ग के युवक / युवतियों के शिक्षण प्रशिक्षण की व्यवस्था करना। मालिन बस्तियों के उत्थान की व्यवस्था करना।

<u>न्यास ट्रस्ट मण्डल के अधिकार एवं कर्तव्य</u>

1- समान उद्देश्य की अन्य संस्थाओं व न्यास / ट्रस्ट से सहयोग एवं संपर्क स्थापित करना। केंद्र एवं राज्य सरकार एवं उनके उपक्रम से सहायता प्राप्त करना।

2- न्यास / ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु तथा इसके विभिन्न इकाइयों की सुचारु रूप से व्यवस्था के लिए अन्य संस्थाओं की स्थापना करना तथा इसके लिए समितियाँ एवं उप समितियों का गठन करना।

3- न्यास / ट्रस्ट के अधीन संस्थाओं व समितियों के सुचारु रूप से संचालन के लिए अधिनियम के अनुसार उनकी अलग नियमवाली तथा उप नियमो को बनाना।

Pradeep Kumar Singh

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BN 987616

4- न्यास / ट्रस्ट के अधीन स्थापित संस्थाओं एवं समितियों की सदस्यता के लिए विभिन्न प्रावधानों को लिखित रूप में तैयार करना तथा इसके लिए धन, सदस्यता शुल्क, दान, इत्यादि प्राप्त करना तथा उनकी प्रबंध इकाइयों को गठित करना |

5- न्यास / ट्रस्ट के अधीन चलने वाली संस्थाओं की व्यवस्था के लिए शुल्क प्राप्त करना तथा मेधावी छात्र / छात्राओं को उच्च शिक्षा हेतु आवश्यक सहायता उपलब्ध कराना |

6- न्यास / ट्रस्ट के चल - संपत्ति की देख - भाल करना तथा न्यास / ट्रस्ट की चल - अचल सम्पत्ति को बढ़ाने के लिए सतत प्रयास करना | आवश्यकता पड़ने पर न्यास / ट्रस्ट के चल - अचल सम्पत्ति को नियमानुसार हस्तान्तरित करना एवं उसकी व्यवस्था करना |

7- न्यास / ट्रस्ट के अधीन स्थापित संस्थाओं एवं गठित समितियों में अनियमितता की स्थिति उत्पन्न होने तथा किन्ही आकस्मिक परिस्थितियों में उसके संचालन के बावत गठित समिति को भंग कर उसकी सम्पूर्ण व्यवस्था न्यास / ट्रस्ट में निहित करना |

8- न्यास / ट्रस्ट के अधीन स्थापित एवं संचालित समस्त संस्थाओं एवं समितियों के लिए आवश्यक कर्मचारियों की नियुक्ति करना और इस प्रकार नियुक्त कर्मचारियों के लिए नियमावली तैयार करना, उनके हित में अन्य कार्यों को करना |

9- न्यास / ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए तथा न्यास / ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाओं के हित में आम नागरिकों, सरकारी एवं गैर सरकारी, अर्ध सरकारी संस्थाओं, सरकारी एवं गैर सरकारी बैंको, केंद्र एवं राज्य सरकार से दान, उपहार, अनुदान, ऋण एवं अन्य स्रोतों से धन, तथा अचल सम्पत्ति को प्राप्त करना तथा विभिन्न माध्यमो से न्यास / ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये व्यय करना |

Pradeep Kumar Singh

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BN 987617

10- न्यास / ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए न्यास / ट्रस्ट मण्डल द्वारा संकल्पित कार्यों को करना |

11- न्यास / ट्रस्ट से सम्बंधित आवश्यक विवरण प्रस्तुत कर न्यास / ट्रस्ट का पंजीकरण आयकर अधिनियम के अंतर्गत करना तथा उक्त अधिनियम के अंतर्गत छूट प्राप्त करने हेतु आवश्यक प्रस्ताव प्रेषित करना |

12- न्यास / ट्रस्ट द्वारा स्थापित किए जाने वाले संस्थाओं की अनापतित प्रमाण पत्र / मान्यता / सम्बध्दता प्राप्त करने के संबंध में कार्यवाही करना |

<u>7- न्यास / ट्रस्ट की प्रबंध व्यवस्था</u>

<u>(क) न्यास ट्रस्ट का गठन एवं संचालन :-</u>

न्यास ट्रस्ट का गठन एवं संचालन निम्नलिखित रूप से किया जाएगा |

1- न्यास / ट्रस्ट का मुख्य न्यासी / ट्रस्टी एवं प्रबंधक हम मुकिर होंगे और न्यास / ट्रस्ट के मुख्य न्यासी / ट्रस्टी को अपने जीवन काल में अगले मुख्य न्यासी / ट्रस्टी को अपने विधिक उत्तराधिकारियों में से ही अगले मुख्य न्यासी / ट्रस्टी को पंजीकृत वसीयत विलेख द्वारा नामित किया जा सकेगा | किन्हीं परिस्थितियों में मुख्य न्यासी / ट्रस्टी की मृत्यु हो जाय अथवा विधिक रूप से पागल घोषित हो जाये अथवा मानसिक रूप से अक्षम हो जाये तो मुख्य न्यासी / ट्रस्टी के विधिक उत्तराधिकारियों द्वारा ही अपने में से ही अगले मुख्य न्यासी

Pradeep Kumar Singh

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BN 987618

/ ट्रस्टी का चयन किया जायेगा | यदि विधिक उत्तराधिकारियों द्वारा मुख्य न्यासी / ट्रस्टी का चयन नहीं किया गया अथवा चयन करने में असफल रहने पर मुख्य न्यासी / ट्रस्टी के विधिक उत्तराधिकारियों में पति / पत्नी जीवित है तब वह स्वतः मुख्य न्यासी / ट्रस्टी होंगे, परन्तु मुख्य न्यासी / ट्रस्टी के विधिक उत्तराधिकारियों में पति / पत्नी जीवित नहीं है तब अन्य विधिक उत्तराधिकारियों में से ही ट्रस्ट मण्डल द्वारा मुख्य न्यासी / ट्रस्टी का चयन किया जाएगा | यदि मुख्य न्यासी ट्रस्टी की पत्नी/ पति, उत्तराधिकार के आधार पर मुख्य न्यासी / ट्रस्टी नियुक्त होती / होते है तथा उसके पश्चात पुर्नविवाह कर कर लेती / लेता है तब ऐसी स्थिति में वह मुक्य न्यासी / ट्रस्टी के पद से स्वतः पदच्युत हो जायेगी / जाएगा | यहाँ यह भी उलेख्य करना आवश्यक है की उत्तराधिकार के आधार पर मुख्य ट्रस्टी / न्यासी के पद पर नामित पुत्री यदि अंतरजातीय अथवा अंतरधार्मिक विवाह करती है तो ऐसी स्थिति में वह मुख्य ट्रस्टी / न्यासी के पद से स्वतः पदच्युत हो जायेगी | उपरोक्त ऐसी स्थिति उत्पन्न होने पर मुख्य न्यासी / ट्रस्टी के अन्य विधिक उत्तराधिकारियों में से ही उपरोक्तानुशार मुख्य न्यासी / ट्रस्टी नामित होगा |

2- मुख्य न्यासी / ट्रस्टी की अनुपस्थिति बिमारी या कार्य करने की असमर्थता की अवस्था में उनके द्वारा नामित न्यासी / ट्रस्टी ही मुख्य न्यासी / ट्रस्टी के रूप में कार्य करने के लिए अधिकृत होगा, परन्तु ऐसे अधिकृत मुख्य न्यासी / ट्रस्टी को अचल संपति के हस्तांतरण / पट्टा / किरायेदारी का विलेख निष्पादित करने तथा न्यास / ट्रस्टी के नियमो, उपनियमो में परिवर्तन / संसोधन करने अथवा निरस्त करने एवं अन्य नियम उपनियम बनाने तथा अन्य नये न्यासी / ट्रस्टी को नामित / नियुक्त करने का अधिकार नहीं होगा परन्तु ऐसे मुख्य न्यासी / ट्रस्टी को न्यास / ट्रस्ट हित में प्रत्येक धन राशि को व्यय करने हेतु प्रत्येक स्थिति में ट्रस्ट / न्यास मण्डल में अनुमति लेना अनिवार्य होगा | किसी भी

Pradeep Kumar Singh

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BN 987619

न्यासी / ट्रस्टी को अपने व्यक्तिगत कारणों से स्वेच्छता से त्याग पत्र देकर अलग होने का पूर्ण अधिकार प्राप्त होगा मुख्य न्यासी / ट्रस्टी द्वारा त्याग पत्र स्वीकृति के उपरान्त ही वह अपने पद से विरत हो सकेगा |

3- न्यास / ट्रस्ट मण्डल के सदस्यों में से न्यासीगण / ट्रस्टीगण को न्यास / ट्रस्ट कि सुचारू प्रबंध व्यवस्था के लिये न्यास ट्रस्ट के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष के रूप में नियुक्त कि जा सकेगी | इस प्रकार नियुक्त किये गए न्यासियों / ट्रस्टियों का कार्याधिकार निश्चित किया जा सकेगा | न्यास / ट्रस्ट के उक्त पदाधिकारियों का निर्वाचन न्यास / ट्रस्ट मण्डल द्वारा अपने में से ही बहुमत के आधार पर किया जाएगा | न्यास / ट्रस्ट के पदाधिकारियों के निर्वाचन में मूलतः आम सहमति के आधार पर कार्यवाही संपन्न किया जाएगा | यदि किन्ही ऐसी परिस्थितियों में ऐसा किया जाना संभव नही हो सका तो पदाधिकारियों का निर्वाचन मुख्य न्यासी / ट्रस्ट की देख रेख में कराया जा सकेगा | इस प्रकार से निर्वाचन संपन्न कराये जाने पर मुख्य न्यासी / ट्रस्ट का निर्णय मान्य एवं अंतिम होगा |

4- न्यास / ट्रस्ट मण्डल के किसी किसी भी न्यासी / ट्रस्टी के त्यागपत्र देने अथवा मृत्यु हो जाने पर या विधिक रूप से पागल घोषित हो जाने पर उसका स्थान रिक्त हो जाएगा और ऐसी स्थिति में रिक्त स्थान कि पूर्ति मुख्य / न्यासी ट्रस्ट द्वारा न्यास / ट्रस्ट के हितैसी किसी अन्य व्यक्ति को नामित किया जायेगा |

5- न्यास / ट्रस्ट के किसी सदस्य को (मुख्य न्यासी / ट्रस्टी को छोड़कर) उसके द्वारा न्यास / ट्रस्ट के उद्देश्यों के विपरीत कार्य करने अथवा न्यास / ट्रस्ट के विपरीत आचरण करने की दशा में न्यास / ट्रस्ट मण्डल द्वारा उन्हें सामान्य बहुमत से न्यास / ट्रस्ट से पृथक कर दिया जाएगा और उनके स्थान पर पूर्व में दिए गए प्रावधानों के अनुसार सुयोग्य

Pradeep Kumar Singh

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BN 987620

एवं हितैषी व्यक्ति को न्यास / ट्रस्ट मण्डल के न्यासी / ट्रस्टी के रूप में नामित कर लिया जाएगा |

6- न्यास / ट्रस्ट दुवारा संचालित संस्था के प्रधानाध्यापक / प्रधानाचार्य / प्राचार्य तथा शिक्षक एवं शिक्षनेतर कर्मचारी संबधित संस्थाओं के विभागीय नियमानुसार जहाँ पदेन सदस्य होते है,

वहाँ वह न्यासी / ट्रस्ट मण्डल के पदेन सदस्य होंगे तथा उन्हें नियमानुसार प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करने का अधिकार प्राप्त होगा |

7- न्यास / ट्रस्ट को कोई भी न्यासी / ट्रस्टी किसी से यदि कोई व्यक्तिगत लेन - देन करता है तो सम्बंधित न्यासी / ट्रस्टी इसके लिये स्वयं उत्तरदायी होगा |

8- न्यास / ट्रस्ट के कार्यों के लिये मुख्य न्यासी / ट्रस्टी अथवा न्यास / ट्रस्ट मण्डल दुवारा भेजे गये किसी प्रतिनिधि के दुवारा किये गए व्यय एवं उसके सम्बन्ध में प्रस्तुत व्यय प्रमाणक को स्वीकार / अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार मुख्य न्यासी / ट्रस्टी के पास सुरक्षित होगा |

(ख) <u>न्यास / ट्रस्ट की बैठक एवं वार्षिक अधिवेशन :-</u>

न्यास / ट्रस्ट मण्डल की वर्ष में कम से कम एक बैठक अवश्य होगी | वर्ष का तात्पर्य वित्तीय वर्ष से होगा | उक्त वार्षिक बैठक में न्यास / ट्रस्ट से संचालित समस्त संस्थाओं / समितियों के प्रबंधक / सचिव एवं संस्थाओं के प्रधानाध्यापक / प्रधानाचार्य / प्राचार्य तथा अन्य पदाधिकारीगण भी भाग लेंगे | सामान्य वार्षिक बैठक कि सूचना सभी लोगो को सूचना पंजिका दुवारा व्यक्तिगत / पंजीकृत डाक / यू० पी० सी० के माध्यम से 15 दिनों के पूर्व दिया जाएगा परन्तु आकस्मिक बैठक कि सूचना एक दिन पूर्व दिया जाना अनिवार्य

 Pradeep Kumar Singh

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BN 987621

होगा | आकस्मिक बैठक कि सूचना दूरभाष / व्यक्तिगत रूप से दिया जाएगा | सभी बैठक कि सूचना मुख्य न्यासी / ट्रस्टी द्वारा दिया जाएगा | वार्षिक / सामान्य एवं आकस्मिक बैठको में सभी का उपस्थिति होना अनिवार्य होगा | वार्षिक सामान्य एवं आकस्मिक बैठको में अनुपस्थित रहने के लिये मुख्य न्यासी / ट्रस्टी का पूर्व अनुमति अनिवार्य है |

2- वार्षिक बैठक में न्यास / ट्रस्ट एवं इसके संचालित संस्थाओं की वर्ष भर के आय – व्यय सहित सम्पूर्ण क्रिया कलापों पर विचार होगा | इस बैठक में न्यास / ट्रस्ट एवं इससे संचालित संस्थाओं के चालू वित्तीय वर्ष आगामी वित्तीय वर्ष हेतु एवं आकस्मिक बजट निर्धारित किया जाएगा | विचारोपरांत बहुमत से पारित न्यास / ट्रस्ट मण्डल का निर्णय अंतिम होगा |

<u>8- मुख्य न्यासी / ट्रस्टी एवं प्रधान प्रबंधक के अधिकार एवं कर्तव्य</u>

1- इस न्यास / ट्रस्ट के मुख्य न्यासी / ट्रस्टी के प्रधान प्रबंधक के रूप में कार्य करना न्यास / ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाओं के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्य करना |

2- न्यास / ट्रस्ट से सम्बंधित प्रत्येक धनराशियों को प्राप्त करना तथा उसका प्राप्ति रसीद देना |

3- न्यास / ट्रस्ट की कार्यवाही स्वंय लिखना | अन्य अभिलेखों को स्वंय तैयार करना / कराना |

4- न्यास ट्रस्ट कि बैठक को आमंत्रित करना तथा उसकी सूचना देना |

5- न्यास / ट्रस्ट की चल अचल संपति की सुरक्षा करना तथा न्यास / ट्रस्ट के आय - व्यय का लेखा – जोखा रखना तथा आय - व्यय का विवरण तैयार कर विचारार्थ न्यास / ट्रस्ट मण्डल के समक्ष प्रस्तुत करना |

Pradeep Kumar Singh

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH BN 987622

6- न्यास / ट्रस्ट के ओर से न्यास / ट्रस्ट कि समस्त चल अचल सम्पति के हस्तांतरण एवं प्राप्ति से सम्बंधित विलेखों को हस्ताक्षरित करना |

7- न्यास / ट्रस्ट द्वारा अथवा न्यास / ट्रस्ट के विरुद्ध की जाने वाली विधिक कार्यवाही में न्यास / ट्रस्ट कि ओर से पैरवी करना एवं अधिवक्ता / मुख्तार नियुक्त करना |

8- न्यास / ट्रस्ट की समस्त बैठको की अध्यक्षता करना | इस न्यास / ट्रस्ट विलेख द्वारा प्राप्त अन्य अधिकारों का प्रयोग करना तथा न्यास / ट्रस्ट के मुख्य प्रबंधक के रूप में शेष न्यासियों / ट्रस्टियों के सहयोग से न्यास / ट्रस्ट के कार्यों को करना |

9- न्यास / ट्रस्ट के आय – व्यय का विवरण तैयार कर न्यास / ट्रस्ट मण्डल द्वारा अधिकृत लेखा परीक्षक / चार्टेन्ड एकाउंटेन्ट से लेखा परीक्षण कराना |

10- न्यास / ट्रस्ट के वित सम्बंधित लेखों का रख रखाव करना |

11- मुख्य न्यासी / ट्रस्टी को अपने विधिक उतराधिकारी में से ही अगले मुख्य न्यासी / ट्रस्टी को वसीयत विलेख द्वारा नामित करना |

12- मुख्य न्यासी / ट्रस्टी द्वारा न्यासी / ट्रस्टी नामित करना |

<u>9. न्यास / ट्रस्ट के कोष कि व्यवस्था</u>

न्यास / ट्रस्ट के कोष के सुचारु रूप से रख रखाव एवं उसकी व्यवस्था किसी राष्ट्रीयकृत बैंक / मान्यता प्राप्त अधिसूचित बैंक मे न्यास / ट्रस्ट के नाम से खाता खोला जायेगा जिसमे न्यास / ट्रस्ट कि समस्त प्रकार कि धनराशियाँ एवं ऋणराशियाँ निहित होगी | न्यास / ट्रस्ट के समस्त बैंक खाते का संचालन मुख्य न्यासी / ट्रस्टी द्वारा अकेले अथवा यदि मुख्य

Pradeep Kumar Singh

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BN 987623

न्यासी / ट्रस्टी चाहे तो मुख्य न्यासी / ट्रस्टी द्वारा अधिकृत न्यासी / ट्रस्टी के साथ सयुक्त रूप से किया जाएगा |

10- न्यास / ट्रस्ट के अभिलेख

1- न्यास / ट्रस्ट के अभिलेखों को तैयार करना / कराना व रख रखाव का दायित्व मुख्य न्यासी / ट्रस्टी का होगा |

2- न्यास / ट्रस्ट की सूचना / कार्यवाही एवं न्यासियों / ट्रस्टियों से संबधित पंजिका को स्वयं मुख्य न्यासी / ट्रस्टी द्वारा तैयार किया जाएगा | इसके रख – रखाव की ज़िम्मेदारी मुख्य न्यासी / ट्रस्टी की होगी |

11- न्यास / ट्रस्ट के सम्पति की व्यवस्था

1- न्यास / ट्रस्ट मण्डल द्वारा न्यास / ट्रस्ट के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु आम नागरिकों, सरकारी एवं गैर सरकारी, अर्ध सरकारी संस्थाओं, सरकारी एवं गैर सरकारी बैंको, केन्द्र एवं राज्य सरकार से दान, उपहार, अनुदान, ऋण एवं अन्य स्रोतों से धन तथा अचल सम्पति को प्राप्त किया जा सकेगा | किसी भी उचित एवं वैधानिक माध्यम से न्यास / ट्रस्ट के आय को बढ़ाया जा सकेगा | इस सम्बन्ध में न्यास / ट्रस्ट के ओर दस्तावेज निष्पादित करने के लिये मुख्य न्यासी / ट्रस्टी अधिकृत होंगे | मुख्य न्यासी / ट्रस्टी यदि उचित समझे तो किसी अन्य न्यासी ट्रस्टी को अधिकृत कर सकते हैं |

2- यह कि मुख्य न्यासी / ट्रस्टी, न्यास ट्रस्ट के द्वारा स्थापित संस्थाओं को संचालित करने के लिये भूमि एवं भवन क्रय कर सकेंगे, विक्रय कर सकेंगे, पट्टा / किरायेदारी ले सकेंगे तथा दे भी सकेंगे एवं अधिग्रहण करने के लिये आवश्यक कार्यवाही कर सकेंगे |

Pradeep Kumar Singh

134
07/3/18

[illegible] पत्र

प्रतिफल- 11000 स्टाम्प शुल्क- 1100 बाजारी मूल्य - 0 पंजीकरण शुल्क - 500 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 100 योग : 600

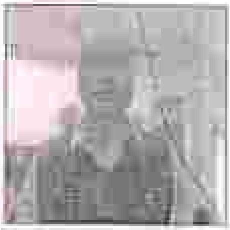
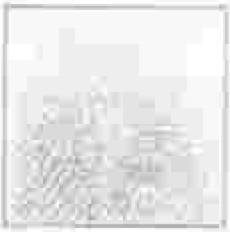

श्री प्रदीप कुमार सिंह ,
पुत्र श्री जयसिंह
व्यवसाय : व्यापार
निवासी : ग्राम धाड़ी तरेया पोस्ट रामनगर मोटी, जनपद गोरखपुर

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 21/02/2018 एवं 04:21:49 PM बजे
निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

अवधेश प्रसाद मिश्र
उप निबंधक सदर
गोरखपुर

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BN 987624

3- यह कि न्यास / ट्रस्ट की चल - अचल संपतियों को क्षति पहुँचाने एवं दुरूपयोग करने वाले को दण्डित करने का अधिकार न्यास / ट्रस्ट मण्डल को प्राप्त होगा | न्यास / ट्रस्ट एवं उसके अधीन संचालित समितियों के अधिकारियों, कर्मचारियों के विरुद्ध किये गये कार्यवाही की अपील का परिक्षण न्यास / ट्रस्ट मण्डल द्वारा किया जाएगा | न्यास / ट्रस्ट का निर्णय अंतिम रूप से मान्य होगा |

4- न्यास / ट्रस्ट द्वारा संचालित किसी भी संस्था में प्रबंधकीय विवाद उत्पन्न होने पर उसके सम्बन्ध में न्यास / ट्रस्ट मण्डल का निर्णय अंतिम व मान्य होगा, परन्तु यदि किसी परिस्थितिवश ऐसा नहीं हो सका तो विवाद के लंबित रहने के दौरान सम्बंधित संस्था का प्रबन्धन व उसकी संपति कि व्यवस्था न्यास / ट्रस्ट में निहित होगी |

5- न्यास / ट्रस्ट द्वारा न्यास / ट्रस्ट के विरुद्ध किसी भी वैधानिक कार्यवाही का संचालन न्यास / ट्रस्ट के नाम से किया जाएगा, जिसकी पैरवी न्यास / ट्रस्ट के तरफ से मुख्य न्यासी / ट्रस्टी द्वारा अथवा उनके द्वारा नामित न्यासी / ट्रस्टी द्वारा किया जाएगा |

6- न्यास / ट्रस्ट के अधीन स्थापित संस्थाओं एवं गठित समितियों के पदाधिकारियों की नियुक्ति तथा उनके सेवा शर्तों एवं सेवा पुस्तिका का विवरण भी न्यास / ट्रस्ट मण्डल के अधीन होगा | न्यास / ट्रस्ट मण्डल अपने सम्पति के प्रबंध एवं प्रतिदिन के कार्य हेतु संविदा / दैनिक / वैतानिक / मानदेय / पर कर्मचारियों की भी नियुक्ति करेगा |

7- न्यास / ट्रस्ट मण्डल, न्यास / ट्रस्ट के हितो के लिये आवश्यक सभी कार्य करेगा | न्यास / ट्रस्ट कि प्रत्येक प्रकार की चल-अचल सम्पत्ति न्यास / ट्रस्ट के उद्देश्यों की प्राप्ति एवं पूर्ति के लिये ही प्रयोग की जायेगी तथा भविष्य में न्यास / ट्रस्ट द्वारा जो भी सम्पति अर्जित किया जाएगा उसके बावत भी यह शर्त लागू होगी |

Pradeep Kumar Singh

निष्पादन लेखपत्र बाद सुनने व समझने मजमून व प्राप्त धनराशि के प्रलेखानुसार उक्त

न्यासी: 1

श्री प्रदीप कुमार सिंह, पुत्र श्री उमासिंह

निवासी: ग्रा० खाडी तप्पा पो० रामनगर कौडी, जनपद गोरखपुर

व्यवसाय: व्यापार

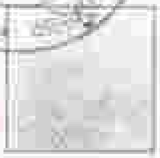
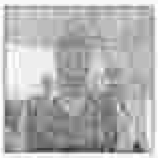

Pardeep Kumar Singh

ने निष्पादन स्वीकार किया । जिनकी पहचान

पहचानकर्ता : 1

श्री राहुल यादव, पुत्र श्री माधव यादव

निवासी: ग्रा० हकनगर तप्पा ... तहः कैम्पियरगंज जिला गोरखपुर

व्यवसाय: कृषि राहुल यादव

पहचानकर्ता : 2

श्री गणेश यादव, पुत्र श्री रमानन्द यादव

निवासी: ग्रा० ... तप्पा ... पो० ... तहः ... जिला गोरखपुर

व्यवसाय: कृषि गणेश यादव

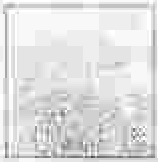

ने की । प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए है ।

टिप्पणी:

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

आदर्श प्रसाद मिश्र
उप निबंधक : सदर
गोरखपुर

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

प्रदीप कुमार सिंह
Pradeep Kumar Singh
जन्म तिथि/ DOB: 10/04/1979
पुरुष / MALE

3592 9722 8310

आधार-आम आदमी का अधिकार

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
UNIQUE IDENTIFICATION AUTHORITY OF INDIA

पता:
S/O: जय सिंह, बाड़ीसरया,, बारी तार्या, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश - 273408

Address:
S/O: Jai Singh, [illegible], Bari
Tarya, Gorakhpur,
Uttar Pradesh - [illegible]

3592 9722 8310

Aadhaar-Aam Admi ka Adhikar

Pradeep Kumar Singh

राहुल यादव
Rahul Yadav
जन्म तिथि / DOB : [illegible]
पुरुष / Male

8953 3871 0412

आधार - आम आदमी का अधिकार

[illegible] Authority of India

पता: [illegible]

Address:
S/O: Madhav Yadav, pandeypar [illegible], [illegible], Gagaha, Gorakhpur, Uttar Pradesh, 273411

8953 3871 0412

राहुल यादव

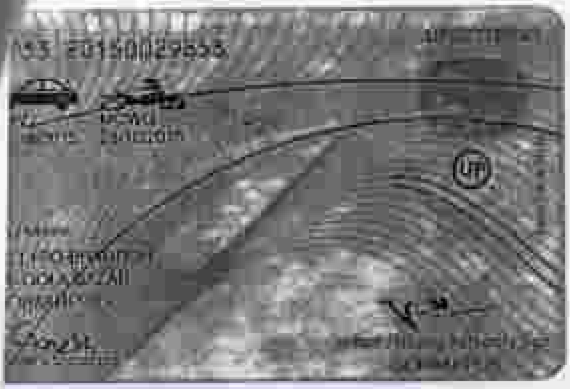

गणेश यादव

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

TREASURY ... 5 FEB 2018 ... GORAKHPUR

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DX 570755

घोषणा

"माँ गायत्री शिक्षण संस्थान" की तरफ से हम मुकिर प्रदीप कुमार सिंह पुत्र श्री जय सिंह निवासी – "बाड़ी तरया" समय थान भीटी, तहसील – गोला, व जनपद – गोरखपुर, (उत्तर प्रदेश) भारत, मुख्य न्यासी /ट्रस्टी के रूप में यह घोषित करता हूँ कि उपरोक्त न्यास पत्र लिखवाकर, पढ़कर एवं समझ कर स्वस्थ मन व चित से बिना किसी दबाव के सोच–समझकर इस न्यास पत्र को निबन्धन हेतु प्रस्तुत किया है जिसमें कि इस न्यास का विधिवत गठन हो सके।

हस्ताक्षर साक्षीगण

1. राहुल यादव S/o माधव यादव
ग्रा०– प०डियापार उर्फ डड़वापार
2. गणेश यादव S/o रामसुन्दर यादव
ग्रा० - भरोह

दिनांक 21 2/. 018

हस्ताक्षर मुख्य न्यासी / ट्रस्टी

Pradeep Kumar Singh

मजमूनकर्ता
हरीशमालवीय
दस्तावेज लेखक
तहसील : गोला
जिला : गोरखपुर
मो. 9935187758
हरीशमालवीय

प्र 938 / 926 दि॰ 19-9-18 प्रदीप कुमार

बही संख्या 4 जिल्द संख्या 13 के पृष्ठ 377 से 414 तक क्रमांक 6 पर दिनांक 21/02/2018 को रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

अवधेश प्रसाद मिश्र

उप निबंधक : गोला

गोरखपुर

(iv) 42/018

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये Rs.20

रु.20 TWENTY RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 37AA 889939

किस्म विलेख - न्यासपत्र

स्टाम्प 1100.

हम कि प्रदीप कुमार सिंह पुत्र जय सिंह ग्राम बाड़ीतरया, पोस्ट-समयथान भीटी, तप्पा चांदपार परगना धुरियापार तहसील गोला जिला गोरखपुर वहैशियत मुख्य न्यासी मां गायत्री शिक्षण संस्थान बाड़ीतरया पोस्ट-समयथान भीटी जिला गोरखपुर के हैं ।

प्रदीप कुमार सिंह

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये Rs.20

रु.20 TWENTY RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 37AA 889940

चूँ मैं एक ट्रस्ट विलेख दिनांक 21-02-2018 को बही संख्या 4 जिल्द संख्या 13 के पृष्ठ 377 से 414 तक क्रमांक 6 पर उपनिबन्धक कार्यालय गोला जिला गोरखपुर मे पंजीकृत कराया था । ट्रस्ट उपरोक्त में निम्नलिखित तथ्य भूल वंश छूट गये थे जिनको शामिल किया जाना आवश्यक है । निम्नलिखित तथ्यों के शामिल करने से न्यास पत्र के प्रकृति एवं राजस्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

प्रदीप कुमार सिंह

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये Rs.20

रु.20

TWENTY RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

37AA 889941

प्रतिबन्ध

क. विद्यालय की पंजीकृत सोसाइटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा ।

ख. विद्यालय के प्रबन्ध समिति मे शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा ।

ग. विद्यालय मे कम से कम दस प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद / बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिये निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा ।

प्रदीप कुमार सिंह

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये

रु.1000

ONE THOUSAND RUPEES

Rs.1000

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BB 576515

घ. संस्था द्वारा राज्य सरकार से कोई अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय का सम्बद्धता सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेन्डरी एजूकेशन नई दिल्ली/ कौंसिल फार दी इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट इक्जामिनेशन प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता और राज्य सरकार से अनुदान स्वत: समाप्त हो जायेगा ।

ङ. संस्था के शिक्षक तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम से वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जाएंगे ।

प्रदीप कुमार सिंह

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये Rs.20

रु.20

TWENTY RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 37AA 889944

छ. कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनाई जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवा निवृत्ति लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे ।

छ. राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी ।

ज. विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र / पंजिकाओं में रखा जायेगा । यदि हां तो कृपया प्रबन्धाधिकरण का इस आशय का प्रस्ताव संलग्न करें कि विद्यालय को विभाग / शासन के सभी प्रतिबन्ध का एक से आठ तक स्वीकार है ।

झ. उक्त प्रतिबन्ध क्रम 'क' से 'ज' तक बिना शासन के अनुमति से परिवर्तन/परिवर्धन/संशोधन नहीं किया जायेगा ।

प्रदीप कुमार सिंह

197 / 196 [illegible] 5-10-18 [illegible] प्रदीप [illegible]

न्यास पत्र

प्रतिफल- 0 स्टाम्प शुल्क- 1100 बाजारी मूल्य - 0 पंजीकरण शुल्क - 500 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 60 योग : 560

श्री सोंगाशिसंमुद्र प्रदीप कु० सिं० ,
पुत्र श्री जय सिंह
व्यवसाय : कृषि
निवासी: ग्राम धाड़ी तरया पोस्ट रामनगर भौटी जिला गोरखपुर

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 06/10/2018 एवं 01:41:51 PM बजे निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

अवधेश प्रसाद मिश्र
उप निबंधक :गोला
गोरखपुर
06/10/2018

गोरखपुर गोला लिपिक
कनिष्ठ सहायक (निबंधन) - नियमित

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

56AD 784336

घोषणा

मां गायत्री शिक्षण संस्थान की तरफ से हम मुख्य ट्रस्टी प्रदीप कुमार सिंह पुत्र जय सिंह निवासी बाड़ीलरया पोस्ट- समयथान भीटी तहसील गोला जिला गोरखपुर यह घोषित करता हूँ कि उक्त न्यास पत्र को पढ़कर समझकर स्वस्थ एवं प्रसन्न चित्त मन से बिना किसी जब्र व दबाव के निबन्धन हेतु प्रस्तुत किया है जिससे न्यास के गठन की वैधानिकता पूर्ण हो सके ।

प्रदीप कुमार सिंह

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

न्यासी: 1

श्री मोंगाशिसंमुद्र प्रदीप कु० सिं०, पुत्र श्री जय सिंह

निवासी: ग्राम भाड़ी तरया पोस्ट रूमग्रसाल भीटी जिला गोरखपुर

व्यवसाय: कृषि

प्रदीप कुमार सिंह

ने निष्पादन स्वीकार किया । जिनकी पहचान

पहचानकर्ता : 1

श्री दिवाकर सिंह, पुत्र श्री राजकुमार

निवासी: साकिन पोखरीभांठ पो० कोहरा बुजुर्ग तहसील गोला जिला गोरखपुर

व्यवसाय: कृषि

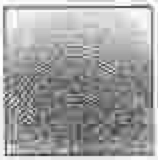

पहचानकर्ता : 2 दिवाकर सिंह

श्री गनेश यादव , पुत्र श्री श्यामसुन्दर यादव

निवासी: ग्राम भर्रोह तहसील गोला जिला गोरखपुर

व्यवसाय: कृषि

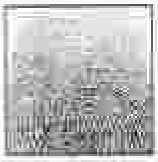

गनेश यादव

ने की । प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए है ।

टिप्पणी :

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

अवधेश प्रसाद मिश्र
उप निबंधक : गोला
गोरखपुर

गोरखपुर गोला निबंधक
कनिष्ठ सहायक (निबंधन) -
नियमित

प्रदीप कुमार सिंह

प्रदीप कुमार सिंह
Pradeep Kumar Singh
जन्म तिथि/ DOB: 10/04/1979
पुरुष / MALE

3592 9722 8310

आधार-आम आदमी का अधिकार

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
UNIQUE IDENTIFICATION AUTHORITY OF INDIA

पता:
S/O: जय सिंह, बाड़ीतरया,, बारी तार्या, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश - 273408

Address:
S/O: Jai Singh, badiaraya, Bari Tarya, Gorakhpur, Uttar Pradesh - 273408

3592 9722 8310

Aadhaar-Aam Admi ka Adhikar

प्रदीप कुमार सिंह

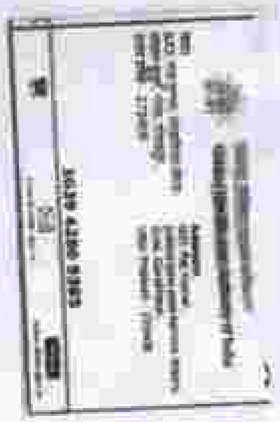

ਰਿਸਾਲ ਸਿੰਘ

आधार

भारत सरकार

Unique Identification Authority of India

Government of India

नामांकन क्रम / Enrolment No.: 2036/42147/01354

To
Ganesh Yadav
S/O: Shyamsundar Yadav
Gola
Gola
Gorakhpur Uttar Pradesh - 273408

आपका आधार क्रमांक / Your Aadhaar No. :

4957 9023 4327

मेरा आधार, मेरी पहचान

भारत सरकार
Government of India

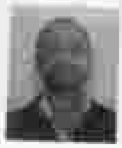

Ganesh Yadav
DOB: 01/07/1989
MALE

4957 9023 4327

मेरा आधार, मेरी पहचान

AADHAAR

सूचना

- आधार पहचान का प्रमाण है, नागरिकता का नहीं।
- पहचान का प्रमाण ऑनलाइन ऑथेन्टिकेशन द्वारा प्राप्त करें।
- यह एक इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया द्वारा बना हुआ पत्र है।

INFORMATION

- Aadhaar is a proof of identity, not of citizenship.
- To establish identity, authenticate online.
- This is electronically generated letter.

- आधार देश भर में मान्य है।
- आधार भविष्य में सरकारी और गैर-सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने में उपयोगी होगा।
- Aadhaar is valid throughout the country.
- Aadhaar will be helpful in availing Government and Non-Government services in future.

Unique Identification Authority of India

Address:
S/O: Shyamsundar Yadav, Gola,
Gorakhpur,
Uttar Pradesh - 273408

4957 9023 4327

गणेश यादव

ॐ

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 56AD 784337

ह० प्रदीप कुमार सिंह मुख्य ट्रस्टी

9839127789

गा० दिवाकर सिंह पुत्र राजकुमार सिंह ग्राम पोखरीगाँव पोस्ट कोहराकुंआ तहसील गोला जिला गोरखपुर

9936087524

गा० गनेश यादव पुत्र श्यामसुन्दर यादव ग्राम भरौहि तहसील गोला जिला गोरखपुर

8400533612

मजमून कर्ता:-

हरीश मालवीय

दस्तावेज लेखक

तहसील गोला

जिला गोरखपुर

दिनांक:-05-10-2018

मो०- 9935187758

हरीशमालवीय

बही संख्या 1 जिल्द संख्या 16 के पृष्ठ 77 से 90 तक क्रमांक
42 पर दिनांक 06/10/2018 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

अवधेश प्रसाद मिश्र
उप निबंधक : गोला
गोरखपुर
06/10/2018